KANNAUJ POLICE

जनपद कन्नौज **दिनाँकः 28 मार्च 2026**

थाना ठठिया में मु0अ0सं0-140/24 में अन्तर्गत धारा- 376 AB /323 भादवि व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में माननीय न्याया0 द्वारा अभियुक्त को में दोषी पाते हुये न्यायालय में अभियुक्त को धारा-376 AB /323 भादवि व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट में कठोर आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास व 20,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में-

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ मारपीट व बलात्कार करने के सम्बन्ध में थाना ठठिया पर मु0अ0सं0-140/24 धारा 376 AB भादवि व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 28.03.26 को माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट कन्नौज द्वारा अभियुक्त कुंजी उर्फ श्याम जी पुत्र लंकुश यादव निवासी ग्राम मदनापुर मौजा उमरन थाना ठठिया जनपद कन्नौज को कठोर आजीवन कारावास एवं 20,500/ रुपये के अर्थदण्ड से किया गया।